

## कार्यकारी सार

- आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं (न्यासों) को उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न कर छूट प्रदान करता है। आयकर विभाग (आईटीडी) यह निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी है कि न्यासों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है। वर्तमान समीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना है कि पंजीकरण केवल धर्मार्थ गतिविधियों में लगे न्यासों को ही दिये गए हैं, एवं छूटें पात्र न्यासों को ही अनुमत हैं। हमारा अध्ययन यह आश्वासन भी चाहता है कि छूटों से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों में संचय के उपयोग एवं अपर्याप्तताओं के लिए उचित निगरानी तंत्र विद्यमान है।
- हमने पंजीकरण प्रक्रिया, निर्धारण के दौरान छूटों की संस्थीकृति, अधिशेष आय के संचय की निगरानी एवं प्राप्त विदेशी अंशदान (एफसीज) में कमियाँ दर्शायी। इसके अतिरिक्त, हमने अधिनियम में विसंगतियों को दर्शाया जिसके कारण करों का गलत निर्धारण एवं अनुद्ग्रहण हुआ। हमारी रिपोर्ट में आईटीडी के निपटान के लिए रखे संसाधनों के कम उपयोग के मुद्दे पर भी चर्चा की गई।
- आईटीडी ने वि.व. 09 से वि.व. 11 के दौरान छूट का दावा करने के लिए पंजीकरण अनुमोदन प्रदान करने अथवा अधिसूचनाएँ जारी करने के लिए न्यासों से 1.75 लाख आवेदन प्राप्त किये। आईटीडी ने 0.90 लाख मामलों में पंजीकरण/ अनुमोदन/ अधिसूचनाएँ प्रदान की जबकि इसने 0.36 लाख मामलों में अनुमोदन के लिए इनकार कर दिया तथा 0.49 लाख मामले लम्बित थे। हमने सभी 0.90 लाख मामलों की संवीक्षा की जहाँ आईटीडी ने पंजीकरण/अनुमोदन अधिसूचनाएँ प्रदान की थी एवं 6948 मामलों (7.72 प्रतिशत) में प्रक्रियात्मक गलतियाँ देखीं।
- हमने न्यासों के 1.37 लाख निर्धारण चिन्हित किये (संवीक्षा: 0.17 लाख एवं संक्षिप्त 1.20 लाख)। हमने 0.81 लाख निर्धारण मामलों की जाँच की (संवीक्षा: 0.15 लाख एवं संक्षिप्त 0.66 लाख)। हमने एआर में ₹ 3,019.21 करोड़ के कर प्रभाव वाली अनियमित छूटों की 1,211 (संवीक्षा: 1,019 एवं संक्षिप्त 264) आपत्तियाँ दर्शायी। जाँच मामलों की आपत्तियाँ लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच किये गए कुल संवीक्षा मामलों का 6.5 प्रतिशत हैं।
- हमने देखा कि 1,149 मामलों में आईटीडी ने उचित दस्तावेजों जैसे न्यास विलेख/लेखापरीक्षित लेखे/लेखापरीक्षा रिपोर्ट/पैन एवं प्रकृति में धर्मार्थ न्यास के उद्देश्यों कि यह एक विशेष समुदाय के हित के लिए है या नहीं, की जाँच किये बिना पंजीकरण प्रदान किया था। सक्षम प्राधिकारियों ने भी या तो पंजीकरण को लम्बित किया था या पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रदान किया था (पैराग्राफ 2.3 -2.30)। आईटीडी ने ₹ 17.76 करोड़ के कर प्रभाव

वाले 125 मामलों में पंजीकरण प्रदान किये बिना अथवा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पंजीकरण के अस्वीकरण के बावजूद अनियमित रूप से छूटें प्रदान की थी (पैराग्राफ 2.31-2.39)।

- न्यास अपनी कुल आय से अत्यल्प खर्च करने एवं इसे अधिशेषों के रूप में संचित करने के बाद लगातार भारी मुनाफा कमा रहे हैं। इन अधिशेषों को कर से बचने के लिए या और अधिक मुनाफा कमाने हेतु अचल सम्पत्तियाँ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है या फिर धर्मार्थ उद्देश्यों के बजाए अन्य न्यासों को हंस्तातरित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, 22 न्यासों ने ₹ 819 करोड़ के अधिशेष संचित किये जो उनकी कुल आय के 35.7 से 84.8 प्रतिशत तक थे (पैराग्राफ 3.2-3.7)। इसके अतिरिक्त, आईटीडी ने जमशेदजी टाटा ट्रस्ट एवं नवाजभाई टाटा ट्रस्ट को अनियमित छूटें अनुमत कीं जिन्होंने पूँजीगत लाभों, जिनमें ₹ 1066.95 करोड़ (बॉक्स 3.1) का कर प्रभाव सम्मिलित था, के संचयों से उत्पन्न होने वाले ₹ 3,139 करोड़ प्रतिबंधित तरीकों में निवेश किये। वाणिज्यिक गतिविधियों में लगे चार क्रिकेट संघों ने बीसीसीआई से प्राप्त टीवी सब्सिडी की ₹ 37.23 करोड़ के कर प्रभाव वाली अनियमित छूटें प्राप्त कीं। (पैराग्राफ 3.28-3.32)। न्यास बिना किसी विनिर्दिष्ट निर्देश के प्राप्त हुए स्वैच्छिक योगदानों के लिए अनियमित छूटें भी प्राप्त कर रहे थे अथवा अलग लेखाओं का अनुरक्षण किये बिना वाणिज्यिक गतिविधियाँ कर रहे थे अथवा अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे जिसमें ₹ 99.44 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था (पैराग्राफ 3.33-3.45)।
- न्यासों को अधिनियम के अनुसार उचित प्रक्रियाओं का पालन किये बिना निर्धारित 15 प्रतिशत से अधिक संचित अधिशेषों के लिए छूटें अनुमत की गई थीं एवं आईटीडी विनिर्दिष्ट अवधि के बाद/गैर निर्धारित तरीकों में निवेश किए गए खर्च न किये गए संचयों पर कर नहीं लगा सका था जिसमें ₹ 143.42 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था (पैराग्राफ 4.5-4.12)। सीबीडीटी ने विनिर्दिष्ट निर्देशों के साथ प्राप्त एवं प्रयोजन जिसके लिए ये प्राप्त हुआ था, के लिए प्रयुक्त एफसीज की देख-रेख के लिए कोई दिशानिर्देश/ परिपत्र जारी नहीं किये हैं (पैराग्राफ 4.13-4.14)।
- हमने अधिनियम में कुछ विसंगतियाँ देखीं। अधिनियम में न्यासों के पूर्ववर्ती वर्षों के घाटे, मूल्यहास एवं ऋण के पुनर्भुगतान की अनुमति के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं (पैराग्राफ 5.2-5.17)। इनके अभाव में, न्यायालयों ने विभिन्न मत दिए हैं। आईटीडी ने भी इन मसलों की अनुमति देने में एक समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। आईटीडी में धारा 80जी के अन्तर्गत पंजीकृत सत्त्व द्वारा जारी की गई रसीदों पर नियन्त्रण रखने के लिए कोई आन्तरिक तंत्र नहीं है (पैराग्राफ 5.18-5.20)। अधिनियम में कोष निधि को विनिर्दिष्ट तरीके से निवेश करने एवं उस पर अर्जित कर लाभ के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं (पैराग्राफ 5.21 -5.24)। अधिनियम में " पर्याप्त रूप से वित्तपोषित " शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। (पैराग्राफ 5.30-5.33)। आईटीडी ने 30 मामलों में उन न्यासों को छूट

अनुमत की जो विभिन्न निर्धारण वर्षो में धारा10(23सी) एवं 12ए दोनों में साथ-साथ/वैकल्पिक रूप से छूट लाभ के लिए दावा कर रहे थे (पैराग्राफ 5.34-5.40)। हमने रिटर्नों के साथ संलग्न किये जाने वाले लेखापरीक्षा रिपोर्टों के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में भी कमियाँ देखीं (पैराग्राफ 5.41-5.42)।

- आईटीडी ने कर प्रशासन के लिए न्यासों को कम प्राथमिकता दी। आईटीडी ने कर अनुपालन उद्देश्य के लिए योजना आयोग द्वारा न्यासों पर अनुरक्षित डाटाबेस का उपयोग करने के कोई प्रयास नहीं किये (पैराग्राफ 6.25-6.26)।